उपखण्ड अधिकारी बालोतरा एवं
शिविर प्रभारी ग्रामीण सेवा शिविर–2025

ग्रामीण सेवा शिविर–2025
दिनांक 23.12.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर,बालोतरा

राजस्व आवेदन संख्या 499/2025
जेतीदेवी बनाम सरकार

आदेश

प्रार्थीगण के खाता दुरूस्ती प्रार्थना पत्र एव **हल्का पटवारी दूधवा व भू.अ.नि. दूधवा** मय तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम खटटू तहसील पचपदरा की खाता संख्या 157 मे प्रार्थीगण का नाम जेतीदेवी पत्नि जेता,नाबालिग दाना पुत्र जेता संरक्षक जेतीदेवी पत्नि जेताराम,नाबालिग प्रहलाद पुत्र जेता संरक्षक जेतीदेवी पत्नि जेताराम सहखातेदारी में दर्ज है,जो कि रेकर्ड मे अशुद्व नाम दर्ज हो रखा है,जबकि प्रार्थीगण का वास्तविक नाम जेतीदेवी पत्नि जेहाराम,दानाराम,प्रहलदाराम पिसरान जेहाराम है,जो शुद्व करवाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी का आवेदन व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। जिसमे पाया कि प्रार्थी का वर्तमान रेकर्ड मे जेतीदेवी पत्नि जेता,नाबालिग दाना पुत्र जेता संरक्षक जेतीदेवी पत्नि जेताराम,नाबालिग प्रहलाद पुत्र जेता संरक्षक जेतीदेवी पत्नि जेताराम सहखातेदारी मे दर्ज है,इसके स्थान पर प्रार्थी जेतीदेवी पत्नि जेहाराम,दानाराम,प्रहलदाराम पिसरान जेहाराम दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा है,जो कि स्वीकार योग्य नही है,क्योकि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नही किया,जिससे साबित होता कि प्रार्थी नाम दुरूस्ती करवाने का हकदार हो। प्रार्थी के नाम दुरूस्ती करवाने के समर्थन मे विवादित भूमि के सहखातेदारान द्वारा कोई समर्थन अर्थात इकबाली जवाब पेश नही किया गया है,जिसके अभाव के कारण प्रार्थी का आवेदन को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है,इसके अलावा पूर्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम अशुद्व दर्ज होने का क्या आधार रहा,इसका भी कोई स्पष्टीकरण नही है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पोषणीय नही होने के कारण प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जाता है। प्रार्थी पृथक से वाद पेश करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

ग्रामीण सेवा शिविर–2025 उपखण्ड अधिकारी,बालोतरा

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर बालोतरा